

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

ना पत्र सं. 300 / 2025

दायरा दिनांक : 07.11.2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

बाकाराम शं० पूरीलाह मेववाह निचवाडिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
07/11/2025	<p>ग्रामीण सेवा शिविर में वादी/प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई।</p> <p>उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम चवाडिया की जमाबंदी सं. 2072-75 एवं तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप-6) विभाग 4(1) राज-6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 परिपत्र के अनुसार प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p> <p>(दिनेश कुमार मीना) सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा</p>	

हस्ताक्षर रीडर

हस्ताक्षर लिपिक



Scanned with OKEN Scanner